# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014-माघ 18, शके 1935


## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### आम सूचना

**( भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत )**

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. अनुराग ट्रेडर्स, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, म. प्र. जो रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है, जिसमें श्री नेमीचंद जैन एवं अनुराग जैन भागीदार हैं, जिसमें तारीख 1-10-2010 से श्रीमति किरन जैन पत्नि अनुराग जैन को भी भागीदारी सम्मिलित कर लिया गया है.

तत्पश्चात् दिनांक 31-10-2010 से उपरोक्त फर्म से श्री नेमीचंद जैन फर्म से निवृत्त (रिटायर) हो गए हैं.

**पी. सी. बरडिया एंड कं.,**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
103, नेपियर टाऊन, जबलपुर.

(557-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आभा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ग्वालियर स्थित लाईन नं. 3, हाउस नं. 14, बिरला नगर, ग्वालियर में दिनांक 14-01-2014 को भागीदार—(1) श्रीमती लीला जादौन पत्नी श्री बृजेन्द्र सिंह जादौन, (2) यज्ञप्रकाश दुबे पुत्र श्री लज्जाराम दुबे, (3) श्रीमती रमा दुबे पत्नी श्री यज्ञप्रकाश दुबे अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से श्री गोपाल कृष्ण भदौरिया पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

**उदय प्रताप शर्मा,**
फर्म—आभा कंस्ट्रक्शन कम्पनी ,
लाईन नं. 3, हाउस नं. 14, बिरला नगर, ग्वालियर.
द्वारा—रामनिवास शर्मा (एडवोकेट)
प्रेम मार्केट, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(558-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजमार्ग डब्लपर्स स्थित सिसोदिया कॉलोनी, गुना में दिनांक 31-03-2013 को

भागीदार अजय गुप्ता पुत्र श्री महेंश गुप्ता, निवासी गुरूशाला रोड, अशोकनगर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. सभी आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

**संजय गुप्ता,**
फर्म—राजमार्ग डब्लपर्स ,
सिसोदिया कॉलोनी, गुना.
द्वारा—दिनेश नेमा एण्ड एसोसियेट्स (सी.ए.),
लाहौटी मार्ग, नयापुरा, गुना.

(559-बी.)

---

## जाहिर सूचना

**( भागीदारी अधिनियम की धारा-72 के अंतर्गत )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन्स, फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक-03/27/03/00196/10, दिनांक 29-12-2010, पता—7, देवेन्द्र नगर, गायत्री पेट्रोल पम्प के पीछे, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर रहा है तथा जिसका नवीन पता 339/15, समाजवादी इन्दिरा नगर, वैष्णव पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे, इन्दौर होना है. दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से उक्त फर्म के भागीदार —(1) अरविंद कुमार पिता स्व. श्री रघुनाथराव गोतमपुरकर, (2) गुरविंदरसिंह पिता श्री हरजीतसिंह सुदन जो कि निवृत्त होकर विधिवत रिटायर हो गये हैं एवं उक्त फर्म में (3) सुरजीतसिंह पिता श्री रामसिंह 1 प्रतिशत के भागीदार एवं (4) जितेन्द्र पिता श्री रोशनलाल वीज को 99 प्रतिशत की भागीदारी के साथ दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है.

**सुरजीतसिंह,**
(पार्टनर)
मेसर्स श्री महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन्स
तर्फे वर्तमान भागीदार,
पता—339/15, समाजवादी इन्दिरा नगर,
वैष्णव पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे, इन्दौर (म. प्र.).

(560-बी.)

---

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स मधुर डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00028/05, दिनांक 20-05-2005 है, जिसके भागीदार क्रमशः (1) श्री घनश्याम रामानी पिता श्री जेठानन्द रामानी, निवासी—72-73, स्कीम नम्बर 101, इन्दौर (म. प्र.), (2) श्री प्रकाश रामानी पिता श्री जेठानन्द रामानी, निवासी—70, स्कीम नम्बर 101, इन्दौर (म. प्र.), (3) श्रीमती मधु रामानी पति श्री घनश्याम रामानी, निवासी—72-73, स्कीम नम्बर 101, इन्दौर (म. प्र.), (4) श्री पंकज रामानी पिता श्री घनश्याम रामानी, निवासी—72-73, स्कीम नम्बर 101, इन्दौर (म. प्र.) थे जिनमें से क्रमशः भागीदार क्रमांक 2 एवं 4 उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं उनके स्थान पर अन्य दो भागीदारगण—(1) श्री सुनील पिता श्री महेन्द्र कुमार नारंग एवं (2) श्रीमती रीता पति श्री सुनील नारंग दोनों निवासी 98, जानकी नगर, इन्दौर इस फर्म में बतौर भागीदार सम्मिलित हो गये हैं. अतः अब दिनांक 21-07-2010 से मेसर्स मधुर डेवलपर्स का कारोबार उपरोक्तानुसार (1) श्री घनश्याम रामानी पिता श्री जेठानन्द रामानी, (2) श्रीमती मधु रामानी पति श्री घनश्याम रामानी, (3) श्री सुनील पिता श्री महेन्द्र कुमार नारंग एवं (4) श्रीमती रीता पति श्री सुनील नारंग के द्वारा किया जा रहा है. सो विदित होवे.

**( 1 ) प्रकाश रामानी**
**( 2 ) पंकज रामानी**
तर्फे पृथक् हुए भागीदारगण
**मेसर्स मधुर डेवलपर्स**

**( 1 ) घनश्याम रामानी,**
**( 2 ) मधु पति घनश्याम रामानी,**
तर्फे वर्तमान भागीदारगण
(1) सुनील नारंग
(2) रीता पति सुनील नारंग
तर्फे नये भागीदारगण
**मेसर्स मधुर डेवलपर्स.**

(561-बी.)

---

## आम सूचना

**( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )**

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मेसर्स वीवा कन्स्ट्रक्शन कंपनी, कार्यालय 25, ग्रीन एवेन्यू, चूना-भट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00010/06, पंजीयन दिनांक 09-05-2006 एक साझेदारी फर्म है. उक्त साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों ने आपसी सहमति से श्री ओमशंकर श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री एन. एन. श्रीवास्तव, आयु लगभग 42, वर्ष, निवासी—फ्लेट नं. 302, डी-19, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म. प्र.) को साझेदारी से विमुक्त (निष्कासित) कर दिया है, साथ ही उक्त साझेदारी फर्म में नवीन साझेदार के रूप में

क्रमशः—1. श्री जगदीप सिंह रघुवंशी पुत्र श्री राजकुमार रघुवंशी आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी—आयकर विभाग के सामने, कैण्ट रोड, गुना (म.प्र.), 2. श्री कुलदीप रघुवंशी पुत्र श्री राजकुमार रघुवंशी आयु लगभग-30 वर्ष, निवासी—आयकर विभाग के सामने, कैण्ट रोड, गुना (म.प्र.), (3) श्री विजय जेमिनी पुत्र श्री भवानी राय जेमिनी, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी—टेकरी, शिवपुरी, मध्यप्रदेश को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

**एस. के. चौबे,**
(562-बी.) (अधिवक्ता).

---

## आम सूचना

**( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )**

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मेसर्स सूर्यन इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट, कार्यालय ई-6/73, अरेरा कॉलोनी, तहसील हुजूर, भोपाल, (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00079/07, पंजीयन दिनांक 07-07-2007 एक साझेदारी फर्म है. उक्त साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों ने आपसी सहमति से श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द्र जैन, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी-22/1, रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म. प्र.) को साझेदारी से विमुक्त (निष्कासित) कर दिया है, साथ ही उक्त साझेदारी फर्म के साझेदार श्री राजकुमार रघुवंशी पुत्र श्री रणधीर सिंह रघुवंशी, निवासी—आयकर विभाग के सामने, कैण्ट रोड, गुना (म.प्र.) के निधन के कारण फर्म से उनकी साझेदारी समाप्त हो गई है. अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

**एस. के. चौबे,**
(563-बी.) (अधिवक्ता).

---

## NOTICE

**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s AGANTUK DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. 00109/2011 Dated 2011-2012 Date of Registration 09/06/2011 undergone the following changes:-

1. That Shri Rahul Jain S/o Shri A. K. Jain and Shri Satyendra Singh Gaur S/o Shri Bhagwant Singh has Joined the Partnership firm w.e.f. 05/04/2013.
2. That Shri Khem Chandra Mohor S/o Late Shri Mangal Chandra and Shri Ramanand Patidar S/o Shri Daulat Ram Patidar has expressed has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 05/04/2013.

**Vinod Patidar,**
(Partner)
"M/s AGANTUK DEVELOPERS"
Pyare Sadan, Behind Radhakrishna Market,
(564-B.) Main Road, N. H. 12, Misrod, Bhopal.

---

## NOTICE

**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s M. P. ENGINEERING" of Bhopal Vide Reg. No. 00195/2011-2012 Dated 04/08/2011 undergone the following changes:-

That Smt. Ritu Gupta W/o Shri Romesh Gupta has Joined the Partnership firm and Shri Ambrish Kumar Tripathi S/o Shri Mahesh Chandra Tripathi has expressed has desire to retire from the Partnership firm and the business of partnership firm shall be carried at Near K. K. Ware House, N. H. 78, Katni Road, Village- Bharola, Distt-Umariya-484661 (M.P.) w.e.f. 21/11/2013.

**Romesh Gupta,**
(Partner)
"M/s M. P. ENGINEERING"
Near K. K. Ware House, N. H. 78,
Katni Road, Village- Bharola,
(565-B.) Distt-Umariya-484661.

---

## NOTICE

**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s TEJ SINGH SOLANKI" of Bhopal Vide Reg. No. 00270/2011 dated 2011-2012 Date of Registration 17/10/2011 undergone the following changes:-

1. That Shri Tej Singh Solanki S/o Shri Khemchand Solanki has Expired do to long illness w.e.f. 17/03/2013.

For—**Dinesh Solanki,**
(Partner)
**M/s Tej Singh Solanki,**
Main Road, Bodhkhi Chowk,
Amla, Distt-Baitul.

(566-B.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उजागर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर जो कि पार्टनर श्री प्रभात सिंह भदौरिया, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर, श्रीमती किरण भदौरिया, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर, श्री रामनिवास सिंह चौहान, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर एवम् श्री चन्द्र प्रताप सिंह राजावत, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर द्वारा दिनांक 27-12-2013 को रजिस्टर्ड फर्म बनाई गई जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00253/12 है. दिनांक 24-01-2014 को श्री रामनिवास सिंह चौहान, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर एवम् श्री चन्द्र प्रताप सिंह राजावत, निवासी ए-34, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मन्दिर, ग्वालियर ने फर्म को स्वेच्छा से छोड़ दिया है. आज दिनांक 24-01-2014 को दो पार्टनर श्री प्रभात सिंह भदौरिया और श्रीमती किरण भदौरिया पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं.

**प्रभात सिंह भदौरिया,**
(पार्टनर)
मे. उजागर कंस्ट्रक्शन कम्पनी.

(570-बी.)

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स मायाश्री कन्सट्रक्शन डवलपमेंट स्थित मकान नम्बर 157, किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. में निम्न पक्षकार साझेदार हैं —1. श्री महेन्द्र सिंह 25 प्रतिशत, 2. श्रीमती मायादेवी 25 प्रतिशत, 3. श्री पुष्पराज सिंह 25 प्रतिशत, 4. श्री विक्रम सिंह 25 प्रतिशत के भागीदार थे, लेकिन सभी साझेदारों ने अपनी आपसी सहमति से दिनांक 16-08-2011 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकारों के हिस्सेदारी (शेयर) में परिवर्तन किया गया है. जो कि इस प्रकार रहेगी—1. श्री महेन्द्र सिंह 70 प्रतिशत, 2. श्रीमती मायादेवी 10 प्रतिशत, 3. श्री पुष्पराज सिंह 10 प्रतिशत, 4. श्री विक्रम सिंह 10 प्रतिशत के हिस्सेदार रहेंगे. अतः यह संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को स्वीकार मान्य है.

**पुष्पराज सिंह,**
मैसर्स मायाश्री कन्सट्रक्शन डवलपमेंट,
मकान नं. 157, किरार कॉलोनी, कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(567-बी.)

## CHANGE OF NAME

I, Declare that my old Name JAFAR KHAN R/o, 201-B, Kalindi Square, Behind Lotus Showroom, A. B. Road, Indore (M. P.) I have Changed my Name my new is now known and called as ZAFAR IQBAL KHAN.

Old Name :
**(JAFAR KHAN)**

New Name :
**(ZAFAR IQBAL KHAN)**

(552-B.)

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित मीनू भट्ट (Meenu Bhatt) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित मीनू शर्मा (Meenu Sharma) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम मीनू शर्मा (Meenu Sharma) से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :
**( मीनू भट्ट )**
**( Meenu Bhatt )**

नया नाम :
**( मीनू शर्मा )**
**( Meenu Sharma )**
C-4/12, सिमी अपार्टमेंट, फेस-2,
सुभाष नगर, भोपाल-402023 (म. प्र.).

(553-बी.)

## नाम परिवर्तन

मैं, मुनीरउद्दीन ने अपना नाम परिवर्तन कर मुनीर खां कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

**( मुनीरउद्दीन )**

नया नाम :

**( मुनीर खां )**

पता-16/2, मल्हार पलटन,

इन्दौर (म. प्र.).

(556-बी.)

## नाम-परिवर्तन

मैं, विपिन यादव पिता श्री विजय यादव यह घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र आयु 16 वर्ष जिसका पुराना नाम अंशुमान यादव था. जिसमें मध्यनाम 'सिंह' जोड़ा गया है. अत: आज से मेरे पुत्र का नाम 'अंशुमान सिंह यादव' हो गया है. अतएव उसे आज दिनांक से उसके नये नाम अंशुमान सिंह यादव के नाम नाम से जाना, पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जाये.

**विपिन यादव,**

303/1 ए, स्नेहनगर,

कमला नेहरू नगर वार्ड, जबलपुर-482002.

(554-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पक्षकारा का नाम पूर्व निलेश्वरी चौहान था. वर्तमान में हमारी पक्षकारा रिया (RHEA CHOUHAN) पिता कृष्णापाल सिंह चौहान के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जावेंगी.

**महेश जायसवाल,**

(एडव्होकेट,)

कार्यालय जी-2, नेहा अपार्टमेण्ट,

जिला पंचायत के सामने, इन्दौर (म. प्र.).

(555-बी.)

## नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, बालकृष्ण तिवारी पुत्र श्री बाबूराम तिवारी, निवासी FH-465, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म. प्र.) मेरी हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम बालकृष्ण अंकित है जबकि विगत कई वर्षों से में मैं अपना नाम उपनाम सहित बालकृष्ण तिवारी का उपयोग करता हूं.

अत: भविष्य में भी मुझे बालकृष्ण के स्थान पर बालकृष्ण तिवारी के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( बालकृष्ण )**

नया नाम :

**( बालकृष्ण तिवारी )**

पुत्र श्री बाबूराम तिवारी,

निवासी—FH-465, दीनदयाल नगर,

ग्वालियर (म. प्र.).

(568-बी.)

## नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, कमला तिवारी पत्नी श्री बालकृष्ण तिवारी, निवासी FH-465, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म. प्र.) के कई दस्तावेजों में मेरा नाम कमला देवी अंकित है, जबकि वर्तमान में मैं अपना नाम उपनाम सहित अर्थात् कमला तिवारी का उपयोग करती हूं.

अत: भविष्य में भी मुझे कमला देवी के स्थान पर कमला तिवारी के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( कमला देवी )**

नया नाम :

**( कमला तिवारी )**

पत्नी श्री बालकृष्ण तिवारी,

निवासी FH-465, दीनदयाल नगर,

ग्वालियर (म. प्र.).

(569-बी.)

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 17 जनवरी, 2014

### वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान लिखित परीक्षा-2013

### ( परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 ( रविवार )

वि. क्र. 780/01/2014/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2013/03 जून, 2013, ऑन लाईन आवेदन अंतिम तिथि 04 जुलाई, 2013, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2013/11 अक्टूबर, 2013, शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2013/12 नवम्बर, 2013, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान भौतिकी-35, रसायन-42, जीव विज्ञान-44 पद हेतु वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 (रविवार) एक सत्र में प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 780/01/2014/अनु.-10, दिनांक 17 जनवरी, 2014 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा में 3234 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये व इस परीक्षा में कुल 1886 आवेदक उपस्थित हुए. हेतु वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान लिखित परीक्षा-2013 हेतु 335 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. लिखित परीक्षा में प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 24 मार्च, 2014 से आयोजित हैं. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह समस्त आवेदकों को अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, उपस्थिति पत्रक एवं समस्त वांछित अभिलेखों की छायाप्रति का 01 सेट दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक भेजना आवश्यक है.

3. वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (तीन मूल प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (01 ओरिजनल एवं पाँच छायाप्रतियों में) उपस्थिति पत्रक (01 मूल प्रति में) उसके साथ ऑनलाईन परीक्षा का आवेदन, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

4. सूची में दर्शाये गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.

5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

6. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक-पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

7. इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों का विषय विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित संशोधित उत्तरकुंजी आयोग की बेवसाईट पर दिनांक 06-01-2014 को अपलोड कर दी गई है. अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी. साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाईट पर डाले जा सकेंगे.

8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

9. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-पटल एवं आयोग की बेवसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

**मधु खरे,**
सचिव.

(61)

इन्दौर, दिनांक 17 जनवरी, 2014

**वैज्ञानिक अधिकारी लिखित परीक्षा-2013 ( परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 )**

**विषय- ( 1 ) भौतिकी ( Physics ), ( 2 ) रसायन ( Chemistry ), ( 3 ) जीव विज्ञान ( Biology )**

**परीक्षा परिणाम**

वि. क्र. 780/01/2014/अनु.-10.—आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2013/03 जून, 2013, ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 जुलाई, 2013, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2013/11 अक्टूबर, 2013, शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2013/12 नवम्बर, 2013, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (1) भौतिकी-35, (2) रसायन-42, (3)जीव विज्ञान-44= कुल 121 अस्थायी पदों हेतु वैज्ञानिक अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह आवेदकों की विषयवार संख्या (1) भौतिकी-85, (2) रसायन-123 एवं (3)जीव विज्ञान-127 = कुल प्रावधिक अर्ह कुल संख्या 335 है. विषयवार, श्रेणीवार, वर्गवार संख्या निम्नानुसार है :—

| विषय | अनारक्षित | | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अना. म. | विक. | शेष अना. पु. | अजा म. | विक. | शेष अजा पु. | अजजा म. | विक. | शेष अजजा पु. | अपिव म. | विक. | शेष अपिव पु. | |
| भौतिकी | 12 | 3 | 31 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 085 |
| रसायन | 19 | 3 | 43 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 123 |
| जीव विज्ञान | 21 | 1 | 43 | 7 | 0 | 15 | 9 | 0 | 17 | 3 | 0 | 11 | 127 |
| **कुल संख्या** | **52** | **07** | **117** | **16** | **0** | **37** | **18** | **00** | **38** | **17** | **00** | **33** | **335** |

अर्ह आवेदक साक्षात्कार हेतु मूल आवेदन-पत्र की एक प्रति, अनुप्रमाणन फॉर्म की दो प्रति, व्यक्तिगत विवरण के फॉर्म की पांच प्रति, अर्हता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां, जाति प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र आदि प्रपत्रों सहित भरकर आयोग कार्यालय में दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक अवश्य आयोग कार्यालय में जमा करें. साक्षात्कार दिनांक 24 मार्च, 2014 से आयोजित होंगे.

**( 1 ) वैज्ञानिक अधिकारी, भौतिकी ( Physics )** में कुल पद-35 के तीन गुना-105 के स्थान पर प्रावधिक अर्ह 82+3 समान अंक अर्ह आवेदक कुल-85 प्रावधिक अर्ह प्राप्त हुए हैं. इसमें अनुसूचित जाति में आरक्षित महिला में 03 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं, अ. जा. श्रवणबाधित विकलांग में 03 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति महिला में 05 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं व अनुसूचित जनजाति में 12 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं, इस प्रकार कुल-23 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हुए हैं इसमें 03 समान अंक प्रावधिक अर्ह प्राप्त हुए हैं (105-23=82+3=85 प्रावधिक अर्ह हैं)

(1) वैज्ञानिक अधिकारी, भौतिकी में प्रावधिक अर्ह आवेदकों के अनुक्रमांक निम्नानुसार हैं :—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
SCIENTIFIC OFFICER WRITTEN EXAMINATION, 2013-PHYSICS
LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES ROLL NO. WISE

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1. | 101399 | KAILASH KUMAR |
| 2. | 101417 | YOGESH MUKATI |
| 3. | 101424 | MONIKA BHAWSAR |
| 4. | 101434 | HEMANT ANARE |
| 5. | 101440 | DINESH AHIRWAR |
| 6. | 101446 | RAJESH KUMAR KUSHWAHA |
| 7. | 101452 | ASHISH ARYA |
| 8. | 101455 | SANJAY KUMAR ARYA |
| 9. | 101460 | AKHILESH WAOO |
| 10. | 101461 | MANOJ CHOUKSE |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 11. | 101468 | SHAILENDRA KUMAR MAHAJAN |
| 12. | 101482 | ANJANI KUMAR SINGHA |
| 13. | 101486 | AJAI MISRA |
| 14. | 101504 | DEEPAK SINGH |
| 15. | 101511 | KAILASH CHANDRA |
| 16. | 101512 | HEMANT PAL |
| 17. | 101520 | AVANI DUBE |
| 18. | 101538 | GAYATRI THAKUR |
| 19. | 101539 | VISHAL CHIDAR |
| 20. | 101737 | MANISH KUMAR |
| 21. | 101739 | ARKKUMAR PATEL |
| 22. | 101740 | NAYANA KUMARI RAJPUT |
| 23. | 101741 | PRADEEP KUMAR |
| 24. | 101742 | ISHAN PATEL |
| 25. | 101743 | KOMPAL SHARMA |
| 26. | 101744 | VARINDER SINGH |
| 27. | 101745 | ANUBHA LAL |
| 28. | 101747 | HIMANSHU SHARMA |
| 29. | 101749 | RAJESH KUMAR |
| 30. | 101750 | GEETESH PATEL |
| 31. | 102897 | DR SHIV GOPAL SINGH |
| 32. | 102909 | AMBIKA SINGH |
| 33. | 102923 | CHAMPALAL MUWEL |
| 34. | 102929 | DR ATUL GOUR |
| 35. | 102936 | PRATIKSHA CHOUBEY |
| 36. | 102949 | DEVI SINGH RAGHUWANSHI |
| 37. | 102951 | MAHESH JAMOD |
| 38. | 102955 | BHUSHAN SINGH PATEL |
| 39. | 102957 | SUBHASH CHAND VERMA |
| 40. | 102960 | PRAKASH CHAND LOHIYA |
| 41. | 102961 | NEELAM SINGH |
| 42. | 102970 | BRAJESH CHOUDHARY |
| 43. | 102979 | DHARMENDRA SINGH FIROZIA |
| 44. | 102989 | VAISHALI VAIDYA |
| 45. | 102991 | PREETI GAIKWAD |
| 46. | 102997 | RUBI TAMRAKAR |
| 47. | 103002 | KAMAL KISHOR |
| 48. | 103003 | MOHIT KUMAR DUBEY |
| 49. | 103007 | RAJENDRA KUMAR DIXIT |
| 50. | 103013 | NILESH NIMJE |
| 51. | 103020 | SONU NAMDEO |
| 52. | 103036 | RAMDA KANESH |
| 53. | 103043 | ARVIND SHARMA |
| 54. | 103044 | GAUTAMA MESHRAM |
| 55. | 103045 | NEHA DODIYA |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 56. | 103046 | MOHAMMED WASIM SHAIKH |
| 57. | 103047 | AKHILESH KUMAR SONI |
| 58. | 103055 | ARPITA SAXENA |
| 59. | 103070 | HARISH VISHWAKARMA |
| 60. | 103078 | NITENDRA KUMAR GAUTAM |
| 61. | 103093 | AJITA JOHARI |
| 62. | 103097 | RASHMI PATEL |
| 63. | 103107 | SHWETA PATANKAR |
| 64. | 103112 | MANISH KUMAR |
| 65. | 103113 | RISHIKESH YADAV |
| 66. | 103124 | MONA SHAH |
| 67. | 103128 | SHANKAR KUMAR CHOUDHARY |
| 68. | 103129 | JITENDRA SOLANKI |
| 69. | 103130 | MAHENDRA KUSHWAHA |
| 70. | 103136 | RAVINDRA SINGH SOLANKI |
| 71. | 103137 | HARSHA DEHARIYA |
| 72. | 103146 | SRIDEVI SWAIN |
| 73. | 103154 | SAMRATH NINAMA |
| 74. | 103159 | POONAM SINGH |
| 75. | 103164 | SUCHITA PANDEY |
| 76. | 103168 | PRADEEP AHIRWAL |
| 77. | 103178 | SATISH KUMAR |
| 78. | 103186 | KIRAN MORI |
| 79. | 103187 | PRAVEEN JHA |
| 80. | 103191 | AKHIL TAYAL |
| 81. | 103201 | SANJAY KUMAR UPADHYAY |
| 82. | 103212 | CAPTAIN RITURAJ SINGH |
| 83. | 103215 | PANKAJ KUMAR PANDEY |
| 84. | 103227 | S SHANKAR SUBRAMANIAN |
| 85. | 103231 | VINAY RASTOGI |

**( 2 ) वैज्ञानिक अधिकारी, रसायन ( Chemistry )** में कुल पद-42 के तीन गुना-126 के स्थान पर प्रावधिक अर्ह 116+7 समान अंक अर्ह आवेदक कुल-123 प्रावधिक अर्ह आवेदक प्राप्त हुए हैं. इसमें अनुसूचित जाति में श्रवणबाधित-03 अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं व अजजा में 01 महिला कम प्राप्त है, व शेष अनुसूचित जनजाति में 06 अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं, इस प्रकार कुल-10 प्रावधिक अर्ह कम प्राप्त हैं एवं अनारक्षित में +5 व अपिवर्ग में +2 कुल 07 समान अंक अर्ह आवेदक प्राप्त हैं (126-10=116+7=123 प्रावधिक अर्ह हैं).

वैज्ञानिक अधिकारी, रसायन में प्रावधिक अर्ह आवेदकों के अनुक्रमांक निम्नानुसार हैं :—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
SCIENTIFIC OFFICER WRITTEN EXAMINATION, 2013-CHEMISTRY
LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CAND1DATES ROLL NO. WISE

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1. | 101632 | SANDEEP KUMAR MOURYA |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 2. | 101650 | NIRMALA DAWAR |
| 3. | 101654 | RAJESH KORI |
| 4. | 101661 | RAMA YADAV |
| 5. | 101663 | VIDHWANSH KUMAR GAUTAM |
| 6. | 101668 | ANUREKHA YADAV |
| 7. | 101672 | NARENDRA KUMAR SINGH RAGHAV |
| 8. | 101679 | SURYAKANT MISHRA |
| 9. | 101696 | SEEMA PATEL |
| 10. | I01714 | ASHU GOYAL |
| 11. | 101722 | SMITA PANCHAL |
| 12. | 101724 | SHIVPOOJAN KORI |
| 13. | 102069 | SHARMILA JAIN |
| 14. | 102077 | BHANU PRATAP SINGH |
| 15. | 102087 | VINITA RAJEEV |
| 16. | 102093 | DR. DHANI RAM VERMA |
| 17. | 102100 | KALPNA VERMA |
| 18. | 102106 | SANAT KUMAR MISHRA |
| 19. | 102109 | RAJIV DUA |
| 20. | I02117 | VISHNU SONI |
| 21. | 102124 | RAJENDRA KUMAR SHARMA |
| 22. | I02125 | JEEVANRAM CHANDEL |
| 23. | I02136 | RAJESH ATUDE |
| 24. | 102138 | PRABHA VERMA |
| 25. | 102155 | RAJESH KUMAR SAINI |
| 26. | I02160 | LATA TRIPATHI |
| 27. | 102180 | DR. SIDDHI NIGAM |
| 28. | I02206 | HARI SINGH BARHADIYA |
| 29. | 102210 | DINESH KANADE |
| 30. | 102211 | RANJAN KUMAR BASAK |
| 31. | 102213 | ASHISH TIWARI |
| 32. | I02215 | VIDYA BHUSHAN MISHRA |
| 33. | I02221 | DEEPAK KUMAR SONI |
| 34. | 102225 | MONA PIPADA |
| 35. | I02230 | DEEPTI GUJARIA |
| 36. | I02233 | DHEERENDRA KUMAR PATEL |
| 37. | 102251 | ASHWANI KUMAR SHARMA |
| 38. | I02260 | HEMENDRA SINGH RATHORE |
| 39. | 102272 | MOHD KAMIL HUSSAIN |
| 40. | 102274 | MAHENDRA KUMAR MARKAM |
| 41. | 102278 | PRAMOD KUMAR |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 42. | 102297 | GOPAL LAL YADAV |
| 43. | 102303 | DR. MAMTA RAJ |
| 44. | 102307 | DR. MRS. SOSANNA LAL |
| 45. | 102315 | JAGDISH PRASAD SEN |
| 46. | 102318 | NISHA BEWTRA |
| 47. | 102319 | VINAY BHOSLE |
| 48. | 102333 | NIDHI GOEL |
| 49. | 102335 | ALOK KUMAR VERMA |
| 50. | 102339 | TRAPTI JOSHI |
| 51. | 102341 | ASHISH KUMAR SONI |
| 52. | 102350 | SANTOSH SINGH |
| 53. | 102361 | ANIL KUMAR SONI |
| 54. | 102379 | HEMANT SISODIYA |
| 55. | 102383 | RAJENDRA KUMAR CHOKHARE |
| 56. | 102385 | DEVENDRA KUMAR PAWAR |
| 57. | 102389 | AJIT NARAIN GUPTA |
| 58. | 102394 | HEM PRASAD PATEL |
| 59. | 102400 | DR. SANTOSH BAHADUR SINGH |
| 60. | 102404 | BHANU PRIYA |
| 61. | 102422 | SANTOSH KUMAR GUPTA |
| 62. | 102434 | ARCHANA CHATURVEDI |
| 63. | 102436 | RAJENDRA SINGH THAKUR |
| 64. | 102442 | YOGENDRA SINGH CHOUHAN |
| 65. | 102446 | PAWAN KUMAR PAREEK |
| 66. | 102451 | ARVIND AHIRWAR |
| 67. | 102454 | RAKESH CHOURE |
| 68. | 102471 | VANDANA SWARNKAR |
| 69. | 102476 | MAYURI THANWAR |
| 70. | 102477 | UMESH VISHWAKARMA |
| 71. | 102483 | RAJESH JAWARWKER |
| 72. | 102488 | VIJAY SHANKER TIWARI |
| 73. | 102491 | OM PRAKASH YADAV |
| 74. | 102496 | PUSHKAL SAMADHIYA |
| 75. | 102497 | KHUSHBOO MANDAWARA |
| 76. | 102499 | AMRITA PRASAD |
| 77. | 102506 | SURESH CHANDRA YADAV |
| 78. | 102507 | ASHISH ASATKAR |
| 79. | 102511 | GANGA PRASAD DANGI |
| 80. | 102520 | VIJAY KUMAR |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 81. | 102524 | NISHA YADAV |
| 82. | 102528 | MEENA GHATIYA |
| 83. | 102540 | SUNIL MAKWANE |
| 84. | 102550 | DR. PRINCE AJAY SONI |
| 85. | 102552 | NEETA JAIN |
| 86. | 102559 | KEDAR SINGH MADHAVI |
| 87. | 102566 | DEEPAK KUMAR |
| 88. | 102568 | KAVITA BAIRAGI |
| 89. | 102601 | ABADH KISHORJHA |
| 90. | 102604 | PANKAJ PATIDAR |
| 91. | 102613 | SHAKUNTALA SOLANKI |
| 92. | 102647 | CHANDA KUMARI ANJANA |
| 93. | 102651 | RITESH CHANDRA SHUKLA |
| 94. | 102671 | DR. VIKAS MUJALDA |
| 95. | 102685 | AVINASH TIWARI |
| 96. | 102689 | SARVESH BOHREY |
| 97. | 102694 | LALIT PRAKASH GUPTA |
| 98. | 102698 | MOHAN SINGH DAWAR |
| 99. | 102703 | NANLA DAWAR |
| 100. | 102719 | PRIYANKA BANGER |
| 101. | 102736 | VINOD KUMAR |
| 102. | 102751 | ASHOK KUMAR |
| 103. | 102755 | TARUN KUMAR BEHERA |
| 104. | 102758 | PAWAN KUMAR DHURWEY |
| 105. | 102765 | PRITI SHIVWANSHI |
| 106. | 102767 | SUNITA SINGH |
| 107. | 102772 | KISHAN SINGH RAWAT |
| 108. | 102774 | ANAND KUMAR PANDEY |
| 109. | 102777 | UMA BHALERAO |
| 110. | 102793 | MOLLY THOMAS |
| 111. | 102800 | PRABHAKAR SHARMA |
| 112. | 102805 | KANDU SINGH TOMAR |
| 113. | 102822 | SEEMA RAWAT |
| 114. | 102828 | KISHORILAL DHURVE |
| 115. | 102831 | MANOHAR SOLANKI |
| 116. | 102832 | LOKESH KUMAR AGARWAL |
| 117. | 102840 | POONAM MOROLIYA |
| 118. | 102856 | METHU DAWAR |
| 119. | 102857 | PREM SINGH KALESH |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 120. | 102860 | SANGEETA MARAVI |
| 121. | 102862 | KUMAR ANAND |
| 122. | 102872 | RAKESH GUPTA |
| 123. | 102885 | SUNITA BAGHEL |

( 1 ) **वैज्ञानिक अधिकारी, जीवविज्ञान ( Biology )** में कुल पद-44 के तीन गुना-132 के स्थान पर प्रावधिक अर्ह 123+4 समान अंक अर्ह आवेदक कुल-127 प्रावधिक अर्ह आवेदक प्राप्त हुए हैं. इसमें अनारक्षित में श्रवणबाधित-02 प्रावधिक अर्ह कम प्राप्त हुए. अनुसूचित जाति में श्रवधबाधित-03 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हैं व अजजा में 04 प्रावधिक अर्ह आवेदक कम प्राप्त हुए इस प्रकार कुल-09 प्रावधिक अर्ह कम प्राप्त हैं एवं अनारक्षित में +1 एवं अ. जा. में +1 व अपिवर्ग में +2 कुल 04 समान अंक अर्ह आवेदक प्राप्त हुए है. ( 132-09=123+4=127 प्रावधिक अर्ह हैं)

(3) वैज्ञानिक अधिकारी, जीवविज्ञान में प्रावधिक अर्ह आवेदकों के अनुक्रमांक निम्नानुसार हैं :—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

SCIENTIFIC OFFICER WRITTEN EXAMINATION, 2013-BIOLOGY

LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CAND1DATES ROLL NO. WISE

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1. | 100047 | KULDEEP DHURWEY |
| 2. | 100076 | ASHWINI WAOO |
| 3. | I00083 | SHYAM SUNDAR SHARMA |
| 4. | I00176 | SUNIL KUMAR SURYAWANSHI |
| 5. | I00185 | SHWETA NAKUL |
| 6. | 100239 | SANDEEP SINGH NAGAR |
| 7. | 100264 | POONAM ARYA |
| 8. | I00276 | NIDHI GUPTA |
| 9. | I00305 | POORTI PANDEY |
| 10. | I00321 | MAHENDRA SINGH |
| II. | I00388 | KAMLESH KAITHOLIA |
| I2. | I00404 | DEEPAK BAGRI |
| 13. | 100409 | SONIL MARSKOLAY |
| 14. | 100412 | SHIVRAJ SINGH GANGOLIYA |
| 15. | 100417 | PREETI PACHORI |
| 16. | 100499 | ANKITA AGARWAL |
| 17. | I00539 | ROHIT BUDHRAJA |
| I8. | 100742 | BRIJESH DHURWEY |
| 19. | 100744 | ALKA BHALAVI |
| 20. | 100752 | DR RAJESH LACHORIA |
| 21. | 100754 | DR JYOTI TAMSIKAR |
| 22. | 100755 | NEELU JAIN |
| 23. | 100757 | MAHENDRA KUMAR PATIL |
| 24. | 100758 | MONICA AGRAWAL |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 25. | 100759 | PANKAJ BAJPAI |
| 26. | 100760 | MAHIMA GOLANI |
| 27. | 100762 | DATTATRAYA KANITKAR |
| 28. | 100764 | AVINASH CHAND PURI |
| 29. | 100767 | KOK SINGH PARIHAR |
| 30. | 100768 | ASHEEB GUPTA |
| 31. | 100769 | DEEPALI CHAUHAN |
| 32. | 100770 | DR SAMTA SHUKLA |
| 33. | 100775 | ASHUTOSH PATHAK |
| 34. | 100777 | RANJAN DHAR |
| 35. | 100778 | SHWETA AGRAWAL |
| 36. | 100779 | ANITA MUKATI |
| 37. | 100783 | SUJATA GAUTAM |
| 38. | 100789 | DR. ANAND KUMAR SONI |
| 39. | 100790 | PRITI SHARMA |
| 40. | 100793 | NIKITA SINGH |
| 41. | 100794 | PRAVEESH BHATI |
| 42. | 100798 | DEBOJIT GUHA |
| 43. | 100800 | PAWAN KUMAR CHOUHAN |
| 44. | 100801 | ANUBHA GANG |
| 45. | 100803 | MANISH PANDEY |
| 46. | 100805 | SUNIL KUMAR SNEHI |
| 47. | 100807 | VIJAY KUMAR |
| 48. | 100813 | DR. KEERTISHEEL SAHARE |
| 49. | 100814 | BHAWNA DUBEY |
| 50. | 100815 | ANAND NAGPURE |
| 51. | 100817 | PREETI BHATNAGAR |
| 52. | 100822 | AMITA PANDEY |
| 53. | 100823 | ARCHANA AWASTHI |
| 54. | 100826 | SWAPNILA CHOUHAN |
| 55. | 100827 | SHARAD LODHI |
| 56. | 100828 | ABHISHEK BAGHELA |
| 57. | 100830 | KIRAN PALIWAL |
| 58. | 100831 | SANDEEP KUMAR CHAURASIA |
| 59. | 100832 | DEEN DAYAL BANSAL |
| 60. | 100836 | RAKESH KUMAR PATIDAR |
| 61. | 100838 | VARSHA SAVANER |
| 62. | 100839 | DHARAMVEER KAPOOR |
| 63. | 100847 | PUSHPENDRA AWADHIYA |
| 64. | 100849 | SANDEEP MEHRA |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 65. | 100850 | ARCHANA SHARMA |
| 66. | 100853 | AVNEESH KUMAR |
| 67. | 100854 | RAJNI BHADKARIYA |
| 68. | 100859 | KEERTI DEHARIYA |
| 69. | 100861 | RAJARAM JADHAV |
| 70. | 100868 | SHWETA HARDIA |
| 71. | 100869 | VIVEK KUMAR SHRIVASTAV |
| 72. | 100870 | ATUL SHRIVASTAVA |
| 73. | 100871 | APARNA KOPPARAPU |
| 74. | 100873 | MANISH KUMAR SHARMA |
| 75. | 100874 | GAYTRI SONWAL |
| 76. | 100875 | HEMANT RAWAT |
| 77. | 100878 | VINITA GAUR |
| 78. | 100881 | DEEPMALA SURYAVANSHI |
| 79. | 100884 | SMRITI CHOUHAN |
| 80. | 100887 | DEEPALI SHUKLA |
| 81. | 100892 | RASHMI HANOTE |
| 82. | 100895 | HIMANSHU BHATNAGAR |
| 83. | 100904 | HEMANT SONI |
| 84. | 100906 | DINESH KUMAR PATEL |
| 85. | 100908 | BRASHKET SETH |
| 86. | 100914 | MANIKA VARSHNEY |
| 87. | 100921 | HARI SHANKAR |
| 88. | 100925 | BHARTI MANKERE |
| 89. | 100942 | SONAM CHOURASIYA |
| 90. | 100943 | PREETI GUPTA |
| 91. | 100950 | JITENDRA KUMAR |
| 92. | 100954 | GIRISH PENDHARKAR |
| 93. | 100955 | SAROJ AHIRWAR |
| 94. | 100961 | PRIYANKA SOLANKI |
| 95. | 100964 | LAKHAN SINGH YADAV |
| 96. | 100966 | MUKESH KUMAR BISEN |
| 97. | 100970 | ANIMA BIDUA |
| 98. | 100979 | SANTOSH ANAND |
| 99. | 100981 | AISHWARYA CHAUHAN |
| 100. | 100983 | JYOTSANA DODKE |
| 101. | 100984 | POONAM VERMA |
| 102. | 100988 | SHADAB KHAN |
| 103. | 100989 | NIDHI PAL |
| 104. | 101001 | SHAILENDRA SONI |

| S.No. | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 105. | 101008 | PRAGATI MASANIYA |
| 106. | 101014 | DEEPAK BHARTI |
| 107. | 101015 | TILAK RAJ |
| 108. | 101019 | SONAL SAIYAM |
| 109. | 101057 | AKIL AHMED PATHAN |
| 110. | 101069 | AMAR BAHADUR SINGH |
| 111. | 101177 | SHIVNATH MERAVI |
| 112. | 101185 | VIKRAM GIRWAL |
| 113. | 101188 | KOMAL SINGH BAGHEL |
| 114. | 101304 | MAMTA RAWAT |
| 115. | 101307 | PARWAT SINGH BAGHEL |
| 116. | 101328 | RAM SINGH MUZALDA |
| 117. | 101377 | VIMLA SINGH |
| 118. | 101594 | DR ILA GAUTAM |
| 119. | 101822 | AHILYA PARASTE |
| 120. | 101829 | DEEPAK SINGH MASHRAM |
| 121. | 101902 | ANIL KUMAR UIKE |
| 122. | 101916 | BAPU SINGH BAGHEL |
| 123. | 101927 | PRADEEP SINGH PORTE |
| 124. | 101948 | DILIP KUMAR ASKE |
| 125. | 101957 | RAJKUMAR JAMRA |
| 126. | 102005 | GANESH DEWAL |
| 127. | 102023 | ANITA ALAWA |

**महत्वपूर्ण टीपः**—1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जायेंगे.

2. वैज्ञानिक अधिकारी लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पाँच प्रतियों में) इसके साथ परीक्षा के आवेदन-पत्र की प्रति, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति)संलग्न कर दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त अर्हता सम्बन्धित समस्त जानकारी सही पाये जाने पर ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा. साक्षात्कार दिनांक 24 मार्च, 2014 से आयोजित होंगे.

4. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

6. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

7. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

**श्रीकृष्ण शर्मा,**
परीक्षा नियंत्रक.

(61)

# विविध

## आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 20 जनवरी, 2014

क्र.25/10 परीक्षा/पट.प्रशि./2014.—पटवारी प्रशिक्षण शाला, मुरैना/उज्जैन/सागर/खरगौन/होशंगाबाद/सीहोर/जबलपुर/बालाघाट/रीवा मध्यप्रदेश में आयोजित पटवारी परीक्षा वर्ष 2014 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिये कार्यक्रम निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| स. क्र. | दिनांक | परीक्षा का दिन | विषय | परीक्षा का समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10-03-2014 | सोमवार | म. प्र. भू-राजस्व संहिता | प्रात: 9.00 से 12.00 |
| 2. | 11-03-2014 | मंगलवार | भू-अभिलेख नियमावली | प्रात: 9.00 से 12.00 |
| 3. | 12-03-2014 | बुधवार | तरतीब कागजात | प्रात: 9.00 से 12.00 |
| 4. | 13-03-2014 | गुरुवार | सर्वे सैद्धान्तिक | प्रात: 9.00 से 12.00 |
| 5. | 14-03-2014 | शुक्रवार | कम्प्यूटर सैद्धान्तिक | प्रात: 9.00 से 12.00 |
| 6. | 15-03-2014 | शनिवार | कम्प्यूटर व्यवहारिक | प्रात: 9.00 से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर. |
| | 19-03-2014 | बुधवार | कम्प्यूटर व्यवहारिक | प्रात: 9.00 से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर. |
| | 20-03-2014 | गुरूवार | कम्प्यूटर व्यवहारिक | प्रात: 9.00 से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर. |
| 7. | 22-03-2014 | शनिवार | सर्वे/फील्ड बुक | प्रात: 9.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी. |
| | 24-03-2014 | सोमवार | सर्वे/फील्ड बुक | प्रात: 9.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी. |
| | 25-03-2014 | मंगलवार | सर्वे/फील्ड बुक | प्रात: 9.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी. |
| | 26-03-2014 | बुधवार | सर्वे/प्लाटिंग करना | प्रात: 9.00 से 10.30 बजे तक 1.30 घण्टा होगी. (दिनांक 22-03-2014, 24-03-2014 एवं 25-03-2014 को दी गई परीक्षा की.) |

टीप:- 1. सर्वे भू-मापन/कम्प्यूटर व्यवहारिक की परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 1.00 घण्टा एवं सर्वे प्लाटिंग के लिए 1.30 घण्टा समय निर्धारित है.
2. इस परीक्षा में बैठने के लिए अनियमित उम्मीदवार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा पटवारी प्रशिक्षण शाला मुरैना/उज्जैन/सागर/खरगौन/सीहोर/होशंगाबाद/बालाघाट/जबलपुर/रीवा से प्राप्त कर सकते हैं.
3. अनियमित उम्मीदवार दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक अपने आवेदन-पत्र संबंधित जिले अनिवार्यत: जमा करें.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त.

(60)

## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

क्र./913/व. लि./2013.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2/09/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम 08 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर, वर्ष 2014 के लिये इन्दौर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा करता हूँ:—

| क्र. | जिला | त्यौहार | दिनांक | दिन | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इन्दौर | रंगपंचमी | 21 मार्च, 2014 | शुक्रवार | संपूर्ण जिला |
| 2. | इन्दौर | अनन्त चतुर्दशी का दूसरा दिन | 09 सितम्बर, 2014 | मंगलवार | संपूर्ण जिला |
| 3. | इन्दौर | दशहरे का दूसरा दिन | 04 अक्टूबर, 2014 | शनिवार | संपूर्ण जिला |

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा. अहिल्योत्सव (दिनांक 24 अगस्त, 2014) रविवार को होने से उक्त दिवस को आधे दिवस का अवकाश घोषित नहीं किया गया है.

**आकाश त्रिपाठी,**
कलेक्टर.

(62)

# निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी, 2014

### अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र. जी.बी.4/(14) 2013-14/490.—लिफाफा निर्माताओं / लिफाफा प्रदायकर्ता संस्थानों से 35 प्रकार के भिन्न-भिन्न आकार के रंगीन लिफाफों को प्रदाय करने हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 10 फरवरी, 2014 को अपराह्न 1.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा. निविदा का तकनीकी भाग उसी दिनांक को अपराह्न 3.00 बजे एवं तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की कामर्शियल भाग अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों / प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा.

तकनीकी विवरण एवं शर्तें, लिफाफों की मात्रा, आकार एवं रंग का विवरण **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर रखा गया है.

डाऊनलोड निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक का रुपये 1,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, तकनीकी विवरण एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किये गये पेपर के नमूनों पर मिल का नाम, जी.एस.एम. अंकित कर निविदाकार के हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा.

**रेनू तिवारी,**
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल.

(73)

---

रीवा, दिनांक 20 जनवरी, 2014

क्र./भण्डार/निविदा सूचना/2013-14/90.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा में स्थापित पी. ओ. 36 शीटफेड आफसेट मुद्रण मशीन (59 × 84 आकार) में मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल खराबी का सुधार कार्य कराया जाना है. कृपया इच्छुक व्यवसायी अपना अधिकृति प्रतिनिधि शासकीय कार्य अवधि में इस मुद्रणालय में भेजकर उक्त मशीन को चेक करवाकर होने वाले व्यय का एवं मशीन में लगने वाले पार्ट्स के विवरण सहित व्यय की दरों की निविदा दिनांक 12 फरवरी, 2014 तक इस मुद्रणालय में जमा कर सकेंगे. टेण्डर फॉर्म एवं शर्तें दिनांक 01 फरवरी, 2014 से 07 फरवरी, 2014 तक रुपये 100/- नगद जमाकर इस मुद्रणालय से प्राप्त की जा सकती है.

**लोरेन्स राबर्टसन,**
उप-नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा (म.प्र.).

(63)

# न्यायालयों की सूचनाएं

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, उपखण्ड खातेगांव, जिला देवास

कन्नौद, दिनांक 20 जनवरी, 2014

प्र. क्र./1/बी-113/2013-14.

**प्रारूप-चार**

[नियम-5 (1)देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 क 30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड खातेगांव, जिला देवास के समक्ष.

चूंकि श्री सुबोधानन्देन्द्र देवी मुगांबिका सेवा समिति न्यास, नेमावर का निर्माण हेतु श्री राहुल भार्मा अधिवक्ता कन्नौद के द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत न्यास (ट्रस्ट) के पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र प्रकाशन की तिथि एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . श्री सुबोधानन्देन्द्र देवी मुगांबिका सेवा समिति न्यास, नेमावर, जिला देवास.
2. लोक न्यास की चल सम्पत्ति . . निरंक
3. लोक न्यास की अचल सम्पत्ति . . निरंक

**न्यासियों के नाम एवं पता**

1. संरक्षक न्यासी . . श्री सुबोधानन्देन्द्र सरस्वती (श्री दण्डी स्वामी)
2. अध्यक्ष . . श्री देववृत जी अग्रवाल
3. सचिव . . श्री अमित जी गोयल
4. कोषाध्यक्ष . . श्री रजनीशजी अग्रवाल
5. सहायक सचिव . . श्री सुरतसिंहजी यादव
6. उपन्यासी . . श्री याज्ञनेश्वर जी सरमण्ड
7. उपन्यासी . . श्री लोकचन्द्र जी लेखवानी
8. उपन्यासी . . श्री शैलेन्द्रजी जलखरे
9. भण्डारी . .

श्री मुकेशजी कोठारी

10. संरक्षक एवं उपन्यासी . . श्री धनंजय जी भार्मा
11. उपन्यासी . . श्री महेशजी धमनानी

न्यास में कुल सदस्य 11 मनोनीत किये गये हैं. न्यासीगण द्वारा आय का लेखा-जोखा समस्त न्यासीगणों के समक्ष प्रस्तुत किया जावे. सामग्री क्रय अथवा विक्रय करने पर सभी न्यासी से परामर्श लिया जावे.

यह सूचना आज दिनांक 20 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

**हरिसिंह चौधरी,**
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

**प्ररूप-4**

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि ''श्री माता वैष्णो देवी चेरीटेबल ट्रस्ट'' द्वारा श्री हरीश खण्डेलवाल, निवासी—23, न्यू एम. एल. ए. कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

1. ट्रस्ट का नाम .. ''श्री माता वैष्णो देवी चेरीटेबल ट्रस्ट''
2. अचल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.
3. चल सम्पत्ति .. 5,000/-.

**चन्द्र मोहन मिश्र,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(54)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/815.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरीनाका, पं. क्र. 549, दिनांक 26 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरीनाका, पं. क्र. 549, दिनांक 26 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/816.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोरखपुर, पं. क्र. 470, दिनांक 15 जनवरी, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोरखपुर, पं. क्र. 470, दिनांक 15 जनवरी, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-A)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/817.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर, पं. क्र. 485, दिनांक 26 जून, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर, पं. क्र. 485, दिनांक 26 जून, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-B)

---

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खला, पं. क्र. 511, दिनांक 01 जनवरी, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की

अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खला, पं. क्र. 511, दिनांक 01 जनवरी, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-C)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/819.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पडरिया, पं. क्र. 505, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पडरिया, पं. क्र. 505, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-D)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/820.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवनगर नया, पं. क्र. 449, दिनांक 01 जून, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवनगरनया, पं. क्र. 449, दिनांक 01 जून, 1995, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-E)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/821.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, करहैया, पं. क्र. 496, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, करहैया, पं. क्र. 496, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-F)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/822.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घुघरी, पं. क्र. 512, दिनांक 03 जनवरी, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घुघरी, पं. क्र. 512, दिनांक 03 जनवरी, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-G)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/823.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव, पं. क्र. 493, दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नवलगांव, पं. क्र. 493, दिनांक 30 दिसम्बर, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-H)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/824.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौराखेडा, पं. क्र. 472, दिनांक 16 जनवरी, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौराखेडा, पं. क्र. 472, दिनांक 16 जनवरी, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-I)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कन्हारपानी, पं. क्र. 543, दिनांक 18 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कन्हारपानी, पं. क्र. 543, दिनांक 18 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(65-J)

---

कार्यालयीन आदेश द्वारा प्रतिभा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, पंजीयन क्र. 280 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, सॉईखेड़ा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था को परिसमापन में लाने का कारण संस्था की गतिविधियों का निष्क्रिय होना था.

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षा की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुनर्जीवित किया जाना उचित है.

अत: मैं, देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, पंजीयन क्र. 280 का परिसमापन आदेश निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही साथ कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी को नामांकित करता हूं.—

| क्र. | सदस्य का नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस. के. पाण्डे | अध्यक्ष |
| 2. | श्री आर. के. सिगौंरिया | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री जी. पी. श्रीवास्तव | सदस्य |
| 4. | श्री डी. पी. तिवारी | सदस्य |
| 5. | श्री सोनीलाल कन्हेरा | सदस्य |
| 6. | श्री नन्हेलाल ठाकुर | सदस्य |
| 7. | श्री श्याम मनोहर दुबे, | सदस्य |
| 8. | श्री के. के. भार्गव | सदस्य |
| 9. | श्री सुगन्धीलाल बाथरे | सदस्य |
| 10. | श्रीमति भागवती गोयल | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया.

(65-K)

---

नरसिंहपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

क्र./उरन/परि./2013/996.—विद्यार्थी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, गोटेगांव, पं.क्र.177, सन् 1965 के संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने हेतु आदेश जारी किया गया था. रिटर्निंग आफीसर ने संस्था अध्यक्ष से निर्वाचन कराये जाने का आदेश तामील कराया तथा रिटर्निंग

आफीसर के प्रतिवेदन अनुसार संस्था निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रही है. संस्था को इस सम्बन्ध में आदेश क्रमांक/731, दिनांक 21 जून, 2013 एवं पत्र क्रमांक 847, दिनांक 27 जुलाई, 2013 जारी कर बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करने हेतु लेख किया था, किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है—

1. संस्था 5 वर्षों से अकार्यशील है व कार्य व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है.

2. संस्था की प्रबन्ध समिति अपने दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रही है एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित अपने उद्देश्यों के बारे में शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. संस्था की आर्थिक स्थिति दयनीय है. अत: संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में विद्यार्थी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, गोटेगांव, पं.क्र.177, सन् 1965 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (दो) के अन्तर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और इन सोसायटियों की आस्तियाँ, दायित्वों का विधिवत निराकरण कर कामकाज समेटने के लिये सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत गोटेगांव को अधिनियम, की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

**डी. पी. सिंह,**
उप-रजिस्ट्रार.

(65-L)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., साईखेड़ा,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/944.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., साईखेड़ा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं. f

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम,

1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

पं. दीनदयाल उपाध्याय ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी,
तहसील सिलवानी,, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/945.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर पं. दीनदयाल उपाध्याय ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 03 मार्च, 2006 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-A)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

जय बमबम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलैया,
तहसील सिलवानी,, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/946.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय बमबम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलैया, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-B)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

चन्द्रशेखर आजाद मत्स्यों सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर,
ब्लाक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/913.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर चन्द्रशेखर आजाद मत्स्यों सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 29 फरवरी, 1988 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-C)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**"कारण बताओ सूचना-पत्र"**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

भारतीय मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., नरवर,
ब्लॉक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/914.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारतीय मत्स्यो सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 793, दिनांक 02 जुलाई, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-D)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

हड्डी एवं चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/915.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर हड्डी एवं चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 11 मार्च, 2005 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-E)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/916.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-F)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

प्रा.महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रातातलाई,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/917.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रा.महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रातातलाई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-G)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/918.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 31 मई, 2005 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-H)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलईपुरा,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/919.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलईपुरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 13 मई, 2003 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-I)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/920.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 943, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-J)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., बडकुई,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/921.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., बडकुई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 947, दिनांक 31 अगस्त, 2007 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-K)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

हरि. आदि. पत्थर खदान सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/922.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर हरि. आदि. पत्थर खदान सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 950, दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-L)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

नर्मदा रेत ट्रक सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/923.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर नर्मदा रेत ट्रक सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 23 अप्रैल, 1991 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-M)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोहा,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/924.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोहा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-N)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा साठ,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/925.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा साठ, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 892, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-O)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊपथरई
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/926.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊपथरई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 31 जनवरी, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-P)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धनियाखेड़ी,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/927.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धनियाखेड़ी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 747, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-Q)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/928.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-R)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मानपुर,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/929.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-S)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

आदर्श हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/930.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर आदर्श हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 09 मार्च, 1976 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-T)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

आजाद मत्स्यो सहकारी संस्था मर्या., हक्काबाद,
ब्लाक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/931.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर आजाद मत्स्यो सहकारी संस्था मर्या., हक्काबाद, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-U)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

माखनी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माखनी,
ब्लाक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/932.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर माखनी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माखनी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 अगस्त, 1999 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-V)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

चांदना मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., चांदना,
ब्लॉक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/933.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर चांदना मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., चांदना, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-W)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

विस्थापित मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा,
ब्लॉक-सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/934.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर विस्थापित मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., महुआखेड़ा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 26 अगस्त, 2003 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-X)

---

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

जय भारत उप-भण्डार सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/935.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय भारत उप-भण्डार सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 19 फरवरी, 1997 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकतें हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(66-Y)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक,

पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रा.सहकारी भण्डार मर्या., रायसेन,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

क्र./परि./2013/936.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रा.सहकारी भण्डार मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जून, 2000 है कि वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ- 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 जून, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत् सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**विनोद कुमार सिंह,**
उप-पंजीयक.

(66-Z)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या.,गोहपारू, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/886.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है

कि बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या.,गोहपारू, जिसका पंजीयन क्र. 1055, दिनांक 04 जून, 2007 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

आशीस ग्रामीण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या.,
गजवाही, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

क्र./परि./2013/887.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि आशीस ग्रामीण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गजवाही जिसका पंजीयन क्र. 963, दिनांक 04 अगस्त, 1999 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-A)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

माँ भाटिया बीज सहकारी समिति मर्यादत, बोकरामार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/888.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि माँ भाटिया बीज सहकारी समिति मर्यादत, बोकरामार, जिसका पंजीयन क्र. 1060, दिनांक 22 अगस्त, 2007 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-B)

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादत, चुनिया, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/890.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादत, चुनिया, जिसका पंजीयन क्र. 1050, दिनांक 29 जून, 2006 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-C)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

लता महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमझोर.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/891.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि लता महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमझोर, जिसका पंजीयन क्र. 969, दिनांक 28 जून, 1999 जो दिनांक .....

की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-D)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

वन्दना महिला ग्रामीण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मोहनी.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/892.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि वन्दना महिला ग्रामीण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मोहनी, जिसका पंजीयन क्र. 985, दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-E)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

विन्ध्य प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/893.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि विन्ध्य प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिला शहडोल, जिसका पंजीयन क्र. 1054, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-F)

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर, जिला शहडोल (वार्ड क्रमांक-4)

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/894.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सोहागपुर, जिला शहडोल (वार्ड क्रमांक-4) जिसका पंजीयन क्र. 974, दिनांक 03 नवम्बर, 1999 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-G)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंगरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/895.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंगरी, जिला शहडोल, जिसका पंजीयन क्र. 1048, दिनांक 17 मई, 2006 जो दिनांक ..... की कार्य

प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-H)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिन्दुरी भर्री, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/896.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिन्दुरी भर्री, जिला शहडोल, जिसका पंजीयन क्र. 1046, दिनांक 17 मई, 2006 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-I)

---

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सकन्दी, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/85, दिनांक 26 अप्रैल, 2012.

क्र./परि./2013/904.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सकन्दी, जिला शहडोल, जिसका पंजीयन क्र. 1035, दिनांक 21 जुलाई, 2003 जो दिनांक 31 मई, 2012 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-J)

शहडोल, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

आराधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कोटला, जिला शहडोल.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं शहडोल
का पत्र क्र./अंके./12/121, दिनांक 13 जून, 2012.

क्र./परि./2013/889.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम अवगत कराया गया है कि आराधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कोटला, जिला शहडोल, जिसका पंजीयन क्र. 1014, दिनांक 30 जुलाई, 2002 जो दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं —

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरण कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विधान नहीं है.
4. संस्था के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराया गया है.
5. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
7. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 15 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(67-K)

---

शहडोल, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थिति आदिवासी आवकारी सहकारी समिति मर्या., वार्ड नं. 15, शहडोल, पंजीयन 941, दिनांक 07 जनवरी, 1998 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी आवकारी सहकारी समिति मर्या., वार्ड नं. 15, शहडोल, पंजीयन 941, दिनांक 07 जनवरी, 1998 का पंजीयन

रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(68)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) अन्तर्गत]

लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनपुरी, जिला शहडोल का पंजीयन क्रमांक/1003, दिनांक 16 दिसम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./833, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 27 मई, 2013 में संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था कार्य व्यवसाय पुनः प्रारम्भ किये जाने एवं संस्था का कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है.

परिसमापक श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 03 जून, 2013 में संस्था में सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर उक्त संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई है. जिससे सहमत होकर संस्था के सदस्यों व्यापक हित में लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनपुरी, जिला शहडोल जिसका पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 01 फरवरी, 2000 को निम्न शर्तों के साथ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत पुनर्जीवित किया जाता है.

1. संस्था प्रस्तुति कार्य योजना अनुसार अपना कार्य व्यापार संस्था की उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेगी.
2. संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख, कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्न कमेटी गठित की जाती है:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती जनक दुलारी केशरवानी | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती सविता पासी | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती प्रीति कुशवाहा | सचिव |
| 4. | श्रीमती कमलावाई | संचालक सदस्य |
| 5. | श्रीमती शीलावाई | संचालक सदस्य |
| 6. | श्रीमती गीतावाई | संचालक सदस्य |
| 7. | श्रीमती शकुन्तलावाई | संचालक सदस्य |
| 8. | श्रीमती सुन्दीवाई | संचालक सदस्य |
| 9. | श्रीमती कपुरियावाई | संचालक सदस्य |
| 10. | श्रीमती कुन्तीवाई | संचालक सदस्य |
| 11. | श्रीमती शान्तीबाई | संचालक सदस्य |

4. संस्था की नामांकित प्रबन्धकारिणी तीन माह के भीतर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विधिवत् प्रस्ताव पारित कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.

यह आदेश मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के धारा-69 (4) अन्तर्गत आदेशानुसार दिनांक 16 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**बी. एस. परते,**
उप पंजीयक.

(68-A)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

### संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, दरोंनी का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री उमेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**एस. के. सिंह,**
उप-पंजीयक.

(69)

---

## कार्यालय परिसमापक, सर्वोदय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, खनियाधाना जिला शिवपुरी

दिनांक 09 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्वोदय प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खनियाधाना, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 10845, दिनांक 12 मई, 1959 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1657, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(70)

---

## कार्यालय परिसमापक, संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., पिपरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., पिपरा, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 163, दिनांक 15 मार्च, 1964 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1658, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(70-A)

## कार्यालय परिसमापक, चेतन्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चेतन्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 21 नवम्बर, 1986 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1659, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

**व्ही. के. जैन,**

(70-B) परिसमापक.

---

## कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सिलोदा (मु.खलीलपुर), जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 21 मई, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/763, शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

**आर. के. मालवीय,**

(71) उप-पंजीयक.

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि बालाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., हीरापुर (पंजी. क्र.2048, दिनांक 27 जुलाई, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए बालाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि नर्मदा फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बामंदा (पंजी. क्र.2050, दिनांक 27 जुलाई, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए नर्मदा फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बामंदा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-A)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि श्री बालाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., ईटवारैयत (पंजी. क्र.2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री बालाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., ईटवारैयत को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-B)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि जय भोले फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडाखुर्द (पंजी. क्र.2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय भोले फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडाखुर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-C)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा (पंजी. क्र. 1968, दिनांक 03 सितम्बर, 2006 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-D)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-E)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाडियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नंदाना विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाडियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नंदाना को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-F)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि छैगांवदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छैगांवदेवी (पंजी. क्र. 1996, दिनांक 19 जनवरी, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए छैगांवदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छैगांवदेवी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-G)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि श्री केशवानंद वस्त्रोत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1962, दिनांक 11 मई, 2006 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री केशवानंद वस्त्रोत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-H)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र.1181, दिनांक 27 जुलाई, 1979 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-I)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि जय भवानी शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1626, दिनांक 09 अगस्त, 1996 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय भवानी शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-J)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि अन्नपूर्णा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1270, दिनांक 06 जनवरी, 1982 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-K)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि पूर्णिमा कापी रजिस्टर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र.1519, दिनांक 28 मार्च, 1994 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए पूर्णिमा कापी रजिस्टर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-L)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि रेवा मांझी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौदाखुर्द विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए रेवा मांझी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौदाखुर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-M)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि सुयश ग्रामीण भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खालवा (पंजी. क्र. 1865, दिनांक 19 अगस्त, 2002) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सुयश ग्रामीण भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खालवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-N)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि जय श्री किसान विपणन सहकारी संस्था मर्या., छनेरा (पंजी. क्र. 1885, दिनांक 29 मई, 2003) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय श्री किसान विपणन सहकारी संस्था मर्या., छनेरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-O)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि शासकीय महाविद्यालय प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1105, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए शासकीय महाविद्यालय प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-P)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि प्रेरणा महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1940, दिनांक 21 सितम्बर, 2005 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए प्रेरणा महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-Q)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 16, दिनांक 10 अक्टूबर, 1961) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-R)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि न्यू रेल्वे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1186 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए न्यू रेल्वे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-S)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि दादाजी क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1770, दिनांक 12 जुलाई, 2000 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दादाजी क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-T)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि रेणुका माता बीज क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा (पंजी. क्र.2070, दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए रेणुका माता बीज क्रय विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-U)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि पटेल आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मथोंडीरैयत (पंजी. क्र. 1952, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण ''द'' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए पटेल आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मथोंडीरैयत को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-V)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिद्दवरकुट (पंजी. क्र. 1925, दिनांक 25 अगस्त, 2004 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिद्दवरकुट को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-W)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि जय श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गुड़ीखेड़ा (पंजी. क्र.2052, दिनांक 27 जनवरी, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गुड़ीखेड़ा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-X)

---

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि पुष्पक यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा (पंजी. क्र. 1599, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए पुष्पक यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-Y)

खण्डवा, दिनांक 08 जुलाई, 2013

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/1079.—कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/अंके./2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से सूचित किया गया है कि श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., छनेरा (पंजी. क्र.2046, दिनांक 27 जुलाई, 2007 ) विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., छनेरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**मदन गजभिये,**
उप-पंजीयक.

(72-Z)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 06 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014-माघ 18, शके 1935


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

**कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश**

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

**( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील जौरा (मुरैना), करैरा (शिवपुरी), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), हजूर (रीवा), मानपुरा, कयामपुर, मंदसौर (मंदसौर), महिदपुर, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), जोबट, अलीराजपुर, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर (राजगढ़), बासौदा (विदिशा), गौहरगंज (रायसेन), घोड़ाडोगरी (बैतूल), ढीमरखेड़ा (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), पोहरी (शिवपुरी), बामोरी, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), सागर (सागर), बांधवगढ़ (उमरिया), सुबासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, सीतामऊ, धुन्धड़का, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरोद, घटिया (उज्जैन), शुजालपुर, कालीपीपल (शाजापुर), बदनावर (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), खिलचीपुर (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, विदिशा (विदिशा), उदयपुरा (रायसेन), आठनेर, आमला (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**—तहसील सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), खनियाधाना, शिवपुरी (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना (गुना), बढ़ामलहरा (छतरपुर), खुरई, रेहली, गढ़ाकोटा (सागर), कोतमा (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), बड़नगर (उज्जैन), धार, धरमपुरी (धार), राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), कुरवाई, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), रायसेन, सिलवानी (रायसेन), शाहपुर, चिचौली, बैतूल (बैतूल), मझौली (जबलपुर), बडवारा (कटनी), घुघरी (मण्डला), जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना (मुरैना), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, नरवर, कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), राघौगढ़ (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा, (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजापुर, बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना बण्डा, देवरी, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ मालथोन (सागर), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), तराना (उज्जैन), सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, गंधवानी, डही (धार), खकनार (बुरहानपुर), नटेरन (विदिशा),

गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), भैंसदेही, मुलताई (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बरही (कटनी), निवास, नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, परासिया, जामई, सोंसर, पाढुंर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसोर, धनोरा, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.**—तहसील चन्देरी (अशोकनगर), अजयगढ़ (पन्ना), बिछिया (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, झाबुआ, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, डिण्डोरी व जिला सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला झाबुआ में चना फसल एवं श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, मंदसौर, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला धार, बुरहानपुर, भोपाल, हरदा, सिवनी में फसल सोयाबीन व कटनी में मक्का, उड़द, व बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अम्बाह | 90.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | 70.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | 71.0 | | | | |
| 4. जौरा | 16.0 | | | | |
| 5. सबलगढ़ | 41.0 | | | | |
| 6. कैलारस | 45.0 | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | 18.0 | | 4. (1) ज्वार, बाजरा, मूँगफली, कपास, गन्ना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | 25.3 | | तिल, धान, सोयाबीन, उड़द,मूँग, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयपुर | 31.4 | | तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| ***जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अटेर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. भिण्ड | . . | | (2) . . | | |
| 3. गोहद | . . | | | | |
| 4. मेहगांव | . . | | | | |
| 5. लहार | . . | | | | |
| 6. मिहोना | . . | | | | |
| 7. रौन | . . | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | 65.3 | | 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | 51.0 | | तिल अधिक. उड़द कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भितरवार | 107.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. घाटीगांव | 66.0 | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | . . | | 4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त |
| 2. दतिया | . . | | ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भाण्डेर | . . | | मूँग. (2) . . | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | 35.0 | | 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | 78.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | 50.0 | | | | |
| 4. नरवर | 138.0 | | | | |
| 5. करैरा | 13.0 | | | | |
| 6. कोलारस | 71.0 | | | | |
| 7. पोहरी | 22.0 | | | | |
| 8. बदरवास | 62.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला अशोकनगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुंगावली | . . | | 4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | 50.0 | | गन्ना कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | 109.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. चन्देरी | 250.0 | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| **जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 44.9 | | 4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान. | 6. संतोषप्रद. | 8. . . |
| 2. राघौगढ़ | 62.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | . . | |
| 3. बमोरी | 31.0 | | | | |
| 4. आरोन | 33.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 27.0 | | | | |
| 6. कुम्भराज | 27.0 | | | | |
| **जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | 91.0 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का,सोयाबीन, तिल, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | 121.0 | | मूंगफली, गन्ना, तुअर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | 60.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. टीकमगढ़ | 76.0 | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | 9.0 | | | | |
| 6. पलेरा | 88.0 | | | | |
| 7. ओरछा | 113.0 | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी | 138.0 | | 4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | 203.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | 152.0 | | | | |
| 4. छतरपुर | 165.6 | | | | |
| 5. राजनगर | 176.0 | | | | |
| 6. बिजावर | 215.0 | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | 44.0 | | | | |
| 8. बक्सवाहा | 66.2 | | | | |
| **जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | 274.2 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | 122.1 | | अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | 212.0 | | तिल कम. | | |
| 4. पवई | 142.0 | | (2) . . | | |
| 5. शाहनगर | 115.4 | | | | |
| **जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | 67.6 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | 52.2 | | उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | 83.6 | | सोयाबीन समान. | | |
| 4. सागर | 24.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. रेहली | 52.5 | | | | |
| 6. देवरी | 69.2 | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | 50.0 | | | | |
| 8. राहतगढ़ | 64.0 | | | | |
| 9. केसली | 69.0 | | | | |
| 10. शाहगढ़ | 147.0 | | | | |
| 11. मालथोन | 75.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | उड़द, मूँग समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| **जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. रघुराजनगर | 0.3 | | 4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | अधिक. कोदों-कुटकी, तिल, ज्वार, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | समान. | | |
| 4. नागौद | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. उचेहरा | 14.0 | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | चालू है. | 4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल बिगड़ी | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | हुई. अरहर,धान, ज्वार समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) . . | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हजूर | 10.2 | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7.रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |
| ***जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सोहागपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ब्यौहारी | . . | | (2) . . | | |
| 3. जैसिंहनगर | . . | | | | |
| 4. जैतपुर | . . | | | | |
| 5. बुढार | . . | | | | |
| 6. गोहपारू | . . | | | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 61.2 | | 4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 77.0 | | सोयाबीन,उड़द, तिल समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 52.3 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 135.7 | | | | |
| **जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 29.2 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 87.0 | | तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | 49.0 | | रामतिल अधिक. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | 54.0 | | 4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कुटकी, तिल, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | 108.0 | | तुअर, मूँग, उड़द समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मझौली | 98.5 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. कुसमी | 73.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 93.5 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 58.8 | | | | |
| **जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) मक्का, धान, तुअर अधिक. ज्वार, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | मूँग, उड़द, कोदों समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सिंगरौली | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. सुवासरा-टप्पा | 30.2 | चालू है. | 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | 6.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मल्हारगढ़ | 24.0 | | | | |
| 4. गरोठ | 26.8 | | | | |
| 5. मन्दसौर | 13.0 | | | | |
| 6. धुन्धड़का | 20.0 | | | | |
| 7. सीतामऊ | 19.0 | | | | |
| 8. शामगढ़ | 26.0 | | | | |
| 9. कयामपुर | 15.0 | | | | |
| 10. संजीत | 19.0 | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | मूँगफली कम. उड़द तुअर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मनासा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| ***जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. आलोट | . . | | (2) . . | | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | 27.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | 6.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. तराना | 73.0 | | | | |
| 4. घटिया | 23.0 | | | | |
| 5. उज्जैन | 15.0 | | | | |
| 6. बड़नगर | 43.0 | | | | |
| 7. नागदा | 14.0 | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मो. बड़ोदिया | 6.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | 12.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | 23.0 | | | | |
| 4. कालापीपल | 20.0 | | | | |
| 5. गुलाना | 4.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) तुअर, उड़द, मूँगमोठ, गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | कपास, मूँगफली कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. बागली | . . | | | | |
| 5. कन्नौद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. रबी मौसम की जुताई व | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. थांदला | . . | चना की बोनी का कार्य | 4. (1) कपास, तुअर, धान, ज्वार अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | चालू है. | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. भामरा | . . | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. . . |
| 1. जोवट | 10.2 | | 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा,धान, मूँगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. अलीराजपुर | 2.2 | | सोयाबीन, उड़द, कपास समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सोण्डवा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. च.शे.आ. नगर | 2.6 | | | | |
| 5. कट्टीवाड़ा | . . | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. सोयाबीन की कटाई का | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बदनावर | 21.4 | कार्य चालू है. | 4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | 81.3 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | 42.7 | | | | |
| 4. कुक्षी | 110.3 | | | | |
| 5. मनावर | 61.0 | | | | |
| 6. धरमपुरी | 35.0 | | | | |
| 7. गंधवानी | 63.0 | | | | |
| 8. डही | 58.0 | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **जिला प. निमाड़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . | | 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सनावद | . . | | मूँगफली, तुअर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. महेश्वर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. सेगांव | . . | | | | |
| 5. करही | . . | | | | |
| 6. खरगौन | . . | | | | |
| 7. गोगावां | . . | | | | |
| 8. कसरावद | . . | | | | |
| 9. मुल्ठान | . . | | | | |
| 10. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 11. भीकनगांव | . . | | | | |
| 12. झिरन्या | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़वानी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ठीकरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजपुर | . . | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | . . | | | | |
| 6. पाटी | . . | | | | |
| 7. निवाली | . . | | | | |
| ***जिला पूर्व-निमाड़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. पंधाना | . . | | (2) . . | | |
| 3. हरसूद | . . | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | 31.0 | | 4. (1) कपास, ज्वार, तुअर समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | 60.4 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | 1.0 | | | | |
| **जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जीरापुर | 8.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिलचीपुर | 28.0 | | गन्ना, ज्वार, तुअर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजगढ़ | 43.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. ब्यावरा | 41.0 | | | | |
| 5. सारंगपुर | 42.9 | | | | |
| 6. नरसिंहगढ़ | 44.0 | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. लटेरी | 18.0 | | 4. (1) अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | 22.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | 38.0 | | | | |
| 4. बासौदा | 10.2 | | | | |
| 5. नटेरन | 75.0 | | | | |
| 6. गुलावगंज | 52.0 | | | | |
| 7. विदिशा | 24.0 | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | 41.0 | | | | |
| **जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | . . | | मूँगफली, तुअर, गन्ना, कम. | चारा पर्याप्त. | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | (2) . . | . . | |
| 3. इछावर | . . | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | . . | | | | |
| 5. बुधनी | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 52.8 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | 55.4 | | सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द, | . . | |
| 3. बेगमगंज | 96.6 | | सन. | | |
| 4. गोहरगंज | 11.0 | | (2) . . | | |
| 5. बरेली | 66.0 | | | | |
| 6. सिलवानी | 47.3 | | | | |
| 7. बाड़ी | 56.0 | | | | |
| 8. उदयपुरा | 21.0 | | | | |
| **जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसलों की कटाई | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैसदेही | 59.0 | का कार्य चालू है. | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | 16.2 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शाहपुर | 35.6 | | | | |
| 4. चिचोली | 47.3 | | | | |
| 5. बैतूल | 47.8 | | | | |
| 6. मुलताई | 67.8 | | | | |
| 7. आठनेर | 34.8 | | | | |
| 8. आमला | 34.0 | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | . . | | 4. (1) धान, सोयाबीन,मूँगमोठ, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | . . | | तुअर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बाबई | . . | | (2) . . | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | . . | | | | |
| 7. वनखेड़ी | . . | | | | |
| 8. पचमढ़ी | . . | | | | |
| **जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. सोयाबीन की फसल की | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | . . | कटाई का कार्य चालू है. | 4. (1) सोयाबीन बिगड़ी हुई. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सीहोरा | 71.8 | | 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल समान. | 6. . . | 8. . . |
| 2. पाटन | 74.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. जबलपुर | 62.2 | | | | |
| 4. मझौली | 42.0 | | | | |
| 5. कुण्डम | 111.0 | | | | |
| **जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. मक्का, उड़द की फसल | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | 81.0 | कटाई का कार्य चालू है. | 4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | 58.0 | | राहर, कोदों, उड़द समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयराघवगढ़ | 87.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. बहोरीबंद | 55.2 | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | 17.0 | | | | |
| 6. बरही | 36.0 | | | | |
| 7. बड़वारा | 56.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गाडरवारा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. करेली | . . | | (2) . . | | |
| 3. नरसिंहपुर | . . | | | | |
| 4. गोटेगांव | . . | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | 78.0 | | 4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | 259.7 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | | |
| 3. नैनपुर | 93.4 | | | | |
| 4. मण्डला | 125.4 | | | | |
| 5. घुघरी | 37.0 | | | | |
| 6. नारायणगंज | 54.5 | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | . . | | 4. (1) धान,मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, जगनी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | 144.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | 36.8 | | (2) . . | | |
| 3. परासिया | 116.0 | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | 162.0 | | | | |
| 5. सोंसर | 117.8 | | | | |
| 6. पांढुर्णा | 123.6 | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | 74.4 | | | | |
| 8. चौरई | 67.2 | | | | |
| 9. बिछुआ | 114.0 | | | | |
| 10. हर्रई | 92.2 | | | | |
| 11. मोहखेड़ा | 122.4 | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | 136.0 | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, सन कम. मूँग, मूँगफली समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | 61.8 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. लखनादौन | 153.5 | | | | |
| 4. बरघाट | 79.5 | | | | |
| 5. कुरई | 55.0 | | | | |
| 6. घंसौर | 111.0 | | | | |
| 7. घनोरा | 160.0 | | | | |
| 8. छपारा | 138.0 | | | | |
| ***जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बालाघाट | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. लाँजी | . . | | (2) . . | | |
| 3. बैहर | . . | | | | |
| 4. वारासिवनी | . . | | | | |
| 5. कटंगी | . . | | | | |
| 6. किरनापुर | . . | | | | |

**टीप.**— *जिला भिण्ड, शहडोल, रतलाम, बड़वानी, पू.निवाड़, नरसिंहपुर, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.